चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के शुभारम्भ के अवसर पर जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के शुभारम्भ के अवसर पर आज दिनांक 05.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 05.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में राजापुर पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से 09 जुआरियों को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री अनिल कुमार, उ0नि0 इमरान खान, उ0नि0 कृष्णदेव मिश्र तथा उनकी टीम आरक्षी अरुण कुमार, आरक्षी शाकिर अली, आरक्षी विमलेश, आरक्षी मनीष द्वारा ताश के पत्तो पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले अभियुक्त 1.गोलू सोनकर पुत्र सम्पत 2.धीरु सोनकर पुत्र संतोष 3.विष्णु सोनकर पुत्र बाबूलाल निवासीगण काली माता मंदिर बाबा घाट कस्बा थाना राजापुर 4. अजय सोनकर पुत्र नत्थू निवासी गैला रोड कस्बा थाना राजापुर 5.अनिल कुमार पुत्र अब्बू सोनकर निवासी कुसिया पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तो के कब्जे से मालफड 1680 रु व 52 अदद ताश के पत्ते, जामा तलाशी में 320 रु बरामद किये गये। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना राजापुर मे धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

(ii) उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार तथा उनकी टीम आरक्षी लवकुश यादव,आरक्षी उज्वल पाण्डेय,आरक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा ताश के पत्तो पर हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले अभियुक्त 1.प्रवेश कुमार पुत्र जवाहर पटेल निवासी बछरन थाना पहाड़ी 2.रामसुभग पुत्र रामनारायण निवासी बछरन थाना पहाड़ी 3.विष्णुकान्त चतुर्वेदी पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी मानस नगर कस्बा थाना राजापुर 4.देवेन्द्र कुमार पुत्र हर्षनारायण निवासी बिरहंवा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तो के कब्जे से मालफड 9400 रु व 52 अदद ताश के पत्ते, जामा तलाशी में 190 रु बरामद किये गये। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना राजापुर मे धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4).आज दिनाँक 05.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये

(5). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

अपर जिलाधिकारी एवम् अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मानिकपुर में सुनी गयी फरियादियों की शिकायतें, निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये निर्देश

आज दिनाँक-05.10.2024 को अपर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री उमेश चन्द्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तहसील सभागार मानिकपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया । इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये । भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(6). आज दिनाँक 05.10.2024 को अपर जिलाधिकारी श्री राजेश चौरसिया , उपजिलाधिकारी श्री प्रमोद कुमार झां एवम् की क्षेत्राधाकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन थाना राजापुर में किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुनकर सम्बन्धित को शीघ्र निस्तारण करने

हेतु निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके जाकर जांचकर निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा आशुतोष तिवारी व राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

(7). आज दिनांक 05.10.2024 को नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय एवं तहसीलदार राजापुर श्री रामसुधार द्वारा प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार की उपस्थिति में नवरात्रि त्यौहार के दृष्टिगत थाना राजापुर में दुर्गा प्रतिमा रखने वाले संयोजकों के साथ पीस कमेटी की बैठक कर संवाद किया गया तथा उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें शासन द्वारा निर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स एवं कानूनी प्राविधानों से अवगत कराया गया एवं शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु तथा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी राजापुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर एवं थाना राजापुर पुलिस बल के साथ स्थापित दुर्गा पण्डालों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया तथा भ्रमण के दौरान मिलने वाली महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान-5 के तहत जागरूक किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/2022 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त सुशील उर्फ सुल्ला पुत्र तीरथ पासी निवासी हरिजन बस्ती कस्बा मऊ थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 05 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 20.03.2022 को एक वादिया थाना मऊ में सूचना दी थी कि सुशील उर्फ सुल्ला उपरोक्त द्वारा नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। सूचना के आधार पर थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 62/2022 धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम सुशील उर्फ सुल्ला उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कमलेश कुमार द्वारा की गयी थी एवं दिनाँक 23.03.2022 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। दिनाँक 15.06.2022 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(9). उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना “मिशन शक्ति अभियान-5” के तहत शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आज दिनांक 05.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में महिला थानाध्यक्ष सविता सरोज द्वारा महिला आरक्षी सबनाज एवं मुख्य आरक्षी दमोदर के साथ कल्याण भारती इण्टर कालेज कर्वी में पुलिस की पाठशाला लगाकर नारी सुरक्षा,नारी स्वाबलंबन एवं नारी सम्मान हेतु विशेष अभियान चलाकर जागरूक किया गया। छात्राओं को आत्मसुरक्षा के लिये जागरुक कर उनकी सुरक्षा के सम्बंध में वार्ता करना, सार्वजनिक स्थानो पर घूम रहे शोहदो को चेतावनी देना, महिलाओ से संबंधित अपराध व अपराध से संबंधित सजा के

बारे में जागरुक करना, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहो व साइबर क्राइम के विषय में व महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076–मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा आदि के विषय मे पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूक किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेंद्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्रकूट श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/2020 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त शुभम केसरवानी पुत्र शत्रुघन केसरवानी निवासी रामघाट सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 232/2021 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त पंचमलाल पुत्र जानकी प्रसाद निवासी सेमरिया चरणदासी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।